न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल0आर0 एक्ट संख्या :-31/2019/जिला टोंक

1. रामेश्वर पुत्र रामपाल
2. नानगा पुत्र रामपाल

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम नोहटा, तहसील निवाई, जिला टोंक।

--अपीलांटस

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र स्व0 श्रवण
2. गोविन्दनारायण पुत्र स्व0 श्रवण
3. भवानी शंकर पुत्र स्व0 श्रवण
4. श्रीमती गीता पुत्री स्व0 श्रवण
5. श्रीमती गुलाब पत्नि स्व0 श्रवण

   समस्त जाति जाट, निवासी नोहटा, तहसील निवाई, जिला टोंक।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निवाई जिला टोंक।

——रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विदवान उपखण्ड अधिकारी, निवाई दिनांक 28.06.2019 जो अपील संख्या 15/2015 में पारित किया गया।

उपस्थित अभि0:—श्री समीर अहमद(वकील अपी0)
श्री हेमराज गुप्ता (रेस्पो0 अभि0)
श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

<u>निर्णय</u> दिनांक:—25.08.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 नम्बर 1 से 5 के द्वारा एक अपील उपखण्ड अधिकारी निवाई के समक्ष नामातंरण संख्या 531 दिनांक 29.04.1989 के विरूद्ध दर्ज करवायी गई। उस अपील में यह कहा गया था कि उनके पिता श्रवण की खातेदारी में नामातंरण संख्या 4 दिनांक 24.12.1960 से कुल खसरा 20 रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा भूमि [illegible] में थी। कुल खसरा नम्बर 16 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा भूमि अब श्रवण की [illegible] अपील में दर्ज रेस्पो0 के नाम दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:42:30 IST
Reason: SelfAttested

वर्ष 1987 में श्रवण के द्वारा सहायक कलक्टर टोंक के न्यायालय में एक वादपत्र 92/1987 रेस्पो0 के पिता रामपाल के खिलाफ दर्ज करवाया था। इसके बाद रेस्पो0 ने भी एक वाद श्रवण के विरूद्ध 93/1987 दर्ज करवाया था। जो कि खातेदारी घोषणा तथा दुरूस्ती का था। दोनों दावो को कंसोलीडेट कर दिया। वाद संख्या 92/1987 में दिनांक 06.08.1988 को राजीनामा हो गया तथा यह तय किया गया कि उपरोक्त भूमि में रेस्पो0 को कोई संबंध नही रहेगा तथा अपील के चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि रेस्पो0 की खातेदारी में रहेगी। जिसमें श्रवण का कोई संबंध नहीं होगा। इस प्रकार कुछ भूमि श्रवण की खातेदारी से कम होकर रेस्पो0 के नाम नामातंरण संख्या 531 दिनांक 29.04.1989 के द्वारा दर्ज की गई है। उक्त राजीनामें की अपील आरएए टोंक के यहां दिनांक 17.01.2011 को पेश की गई।

गंगाबिशन द्वारा श्रवण के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 15.04.1959 को किया गया था। मगर श्रवण ने गंगाबिशन के जीवनकाल में ही सभी भूमियां अपने नाम करवा ली। बाद में गंगाबिशन ने दिनांक 04.06.1964 को उक्त वसीयतनामें को निरस्त कर दिया तथा अपने खाते की कुछ भूमि 9 बीघा 16 बिस्वा भूमि दानपत्र के द्वारा उनकी पुत्री मनभर के नाम कर दी। अतः श्रवण के नाम की खातेदारी निरस्त की जायें तथा नामातंरण संख्या 531 दिनांक 29.04.1989 को निरस्त किया जायें। उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 28.06.2019 को अपील स्वीकार करते हुए नामातंरण संख्या 531 दिनांक 29.04.1989 को खारिज कर दिया। इसे व्यथित होकर निम्न आधारों पर अपील प्रस्तुत की जा रही है–

1. वसीयतगृहिता द्वारा गंगाबिशन के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवा ली,जो गलत है। फिर भी नामातंरण संख्या 531 को खारिज कर दिया गया जो निरस्त किया जाये।

2. राजीनामें के बाद अपील किया जाना गलत है, अपील मियाद बाहर थी। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2019 को निरस्त कर अपील स्वीकार किया जायें।

3. अपील के साथ अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2019 तथा नामातंरण संख्या 531 ग्राम नोहटा की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत की।

अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये जायें। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब कर प्राप्त किया गया। बहस उभय पक्ष वकील सुनी गई।

वकील अपीलांट के अनुसार वे अपील संख्या 15/2015 में एस0डी0ओ निवाई के आदेश दिनांक 28.06.2019 के विरूद्ध आये है। नामातंरण संख्या 531 दिनांक 29.04.1989 राजीनामा डिक्री की पालना में तस्दीक किया गया था। रेस्पो0 को 144 सीपीसी की कार्यवाही करनी थी। एस0डी0ओ ने नामातंरण खारिज कर दिया जबकि उक्त नामांतरण डिक्री की पालना में खोला गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:42:30 IST
Reason: SelfAttested

वकील रेस्पो0 के अनुसार दोनों पक्षों के ये दावे किये गये थे। हमारे द्वारा 88 आरटीए का दावा किया गया तथा हमारे द्वारा 88,188 आरटीए का दावा किया

गया गया और न्यायालय द्वारा दोनो प्रकरणों को समेकित किया गया। दोनो पक्षो के मध्य राजीनामा की डिक्री जारी की गई। राजीनामा की डिक्री के आधार पर नामातंरण संख्या 531 दिनांक 29.04.1989 में खोला गया। उक्त राजीनामें डिक्री की अपील 22 वर्ष बाद 2010 में आरएए कोर्ट टोंक में यहां की गई। जो दिनांक 17.06. 2011 को खारिज कर दी गई। इसके बाद सामने वाले पक्ष के द्वारा तीन अपीले राजस्व मण्डल अजमेर में अलग–अलग की गई। सन् 1988 की राजीनामें की डिक्री राजस्व मण्डल ने खारिज कर दी गई। जो अब अस्तित्व में नहीं है तथा इसके आधार पर खोला गया नामातंरण संख्या 531 अब अस्तित्व में नहीं है।

अन्य पत्रावली प्रहलाद बनाम रामेश्वर में पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 30.06.2015 का अवलोकन किया गया। राजस्व मण्डल में तीन द्वितीय अपीले आरएए टोंक के निर्णय दिनांक 17.06.2011 के विरूद्ध मण्डल में पेश की गई थी। उक्त द्वितीय अपील में यह उल्लेख है कि दो प्रकरण 92/1987 श्रवण के पक्ष द्वारा एवं 93/1987 रामपाल के पक्ष द्वारा क्रमशः धारा 88,188 तथा 88 आरटीए के तहत एक–दूसरे के विरूद्ध दर्ज करवाया गया। जिसे विचारण न्यायालय द्वारा दोनों को समेकित कर पत्रावली पर प्रस्तुत राजीनामें के आधार पर सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 09.08.1988 से दोनो दावों को डिक्री कर दिया। 21 वर्ष बाद रामेश्वर,नानगराम एवं रामपाल ने आरएए टोंक में अपील संख्या 107/2010 प्रस्तुत की। जिस पर उनके द्वारा दिनांक 17.06.2011 को निर्णय देते हुए अपील को मियाद बाहर मानते हुए खारिज कर दिया। इसी बात से व्यथित होकर पुनः इनके द्वारा तीन अलग–अलग अपीले राजस्व मण्डल अजमेर में 5215/2011, 5911/2011 एवं 6311/2011 प्रस्तुत की जिसमें राजस्व मण्डल द्वारा राजीनामें को उचित नहीं मानते हुए राजीनामें के आधार पर निर्णय को अवैध विधिविरूद्ध माना है तथा आरएए टोंक द्वारा मियाद के बिन्दु पर अपील को खारिज करना उचित नहीं माना है तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री मण्डल द्वारा निरस्त कर दिया गया तथा पुनः विचारण न्यायालय को प्रकरण निर्देशों के साथ रिमाण्ड कर दिया गया है। इसी बीच प्रकरण संख्या 15/2015 दिनांक 28.06. 2019 से उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा नामातंरण संख्या 531 दिनांक 29.04.1989 ग्राम नोहटा खारिज कर दिया गया है। अपीलांट द्वारा मूल रूप से यह आक्षेप किया है कि अपील मियाद बाहर थी तथा अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में धारा 5 मियाद अधिनियम के बाबत कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया है। इसलिए उक्त निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। दूसरा आक्षेप यह किया गया है कि गंगाबिशन द्वारा जो वसीयत श्रवण के पक्ष में करवायी गई थी वह उसकी मृत्यु के बाद लागू हो सकती है पहले नहीं। जबकि वह वसीयतनामा भी गंगाबिशन द्वारा दिनांक 04.06.1964 को निरस्त कर दिया है। मगर फिर भी श्रवण ने भूमि अपने नाम करवा रखी थी। जबकि गंगाबिशन द्वारा वसीयत निरस्तीकरण के बाद अपनी पुत्री मनभर पत्नि रामपाल जाट को नाम 9 बीघा बिस्वा भूमि दानपत्र के द्वारा दान करके सुपुर्द कर दी। जिसके वारिसान रामेश्वर, नानगराम व मृतक बजरंगा के वारिसान पुत्रियां नारायणी व ज्ञानता है। अतः श्रवण की खातेदारी निरस्त किये जाने योग्य है। जो अब भी नहीं की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:42:30 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकोर्ड, जमाबंदी संवत 2069–72 खाता संख्या नया 271 में कुल 16 खसरा तथा रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा भूमि रामेश्वर, नानगा कौम जाट के नाम दर्ज है। उक्त नकल दिनांक 29.07.2015 की है। पत्रावली पर उपलब्ध नामातंरण संख्या 531 ग्राम नोहटा का अवलोकन किया गया। कॉलम नम्बर 7 में खातेदार के रूप में श्रवण पुत्र गंगाबिशन जाट दर्ज है तथा कॉलम नम्बर 9 में रामेश्वर ,नानगा पिता रामपाल जाट के नाम दर्ज है तथा खसरा नम्बर 372,388,423मीन,456,504मीन,610मीन,665मीन,686,703,851मीन,769/1299 मीन, 282मीन, 283मीन, 285, 291मीन,292मीन,301 कुल खसरा 16 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा भूमि न्यायालय डिक्री के आधार पर रामेश्वर ,नानगा पिता रामपाल जाट के नाम दर्ज की गई थी। जमाबंदी संवत 2057–60 में श्रवण मु0 गंगाबिशन कौम जाट के नाम खसरा नम्बर 276,282,285,291,292,299,301,303,372,388,403,423,429,456,504,524,545,568,610, 657,665,686,703,847,851,928,769/1299 कुल खसरा नम्बर 27 रकबा 39 बीघा 13 बिस्वा भूमि दर्ज की।

राजीनामा डिक्री दिनांक 09.08.1988 प्रकरण संख्या 92/1987 में सहायक कलक्टर टोंक न्यायालय द्वारा जारी की गई थी। जिसमें प्रथम पक्ष श्रवण पिता मु0 गंगाबिशन निवासी नोहटा तथा रामपाल पुत्र रामनाथ, रामेश्वर,नानगराम पुत्र रामपाल निवासी नोहटा के मध्य स्थाई निषेधाज्ञा के वादपत्र में राजीनामा दिनांक 06.08.1988 के आधार पर डिक्री जारी की गई।

रामेश्वर,नानगराम एवं रामपाल ने आरएए टोंक में 107/2010 प्रस्तुत की थी। जिसे उनके द्वारा सुनवाई करते हुए दिनांक 17.06.2011 को अपील को मियाद बाहर मानते हुए खारिज कर दिया। जिससे उक्त निर्णय से रूष्ट होकर इनके द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में तीन अपील प्रस्तुत की गई। उक्त तीनों अपीलों को सुनकर राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 30.06.2015 को राजीनामा व डिक्री दिनांक 09.08.1988 तथा आरएए टोंक के निर्णय दिनांक 17.06.2011 द्वारा अपास्त कर दिया गया तथा विचारण न्यायालय को रिमाण्ड कर दिया गया और दोनों पक्षों को वहां उपस्थित होकर दावे एवं जवाब दावे के आधार पर संख्या बनाकर समस्त वारिसों को पक्षकार बनाकर निर्णय करने हेतु निर्देश दिये।

अपीलांट के अनुसार डिक्री की अपील के आधार पर खुले नामातंरण को अपील में सुनने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को नहीं था। उपर लिखित विवेचन से स्पष्ट है कि राजीनामा डिक्री दिनांक 09.08.1988 के आधार पर कुल 16 खसरा नम्बर रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा भूमि रामेश्वर, नानगा पिता रामपाल जाट के नाम दर्ज हुई। मगर इन्हीं के द्वारा आरएए टोंक में डिक्री अपील प्रस्तुत की थी। जिसे उनके द्वारा मियाद अवधि से बाहर मानते हुए खारिज कर दिया गया था। इनके द्वारा इससे रूष्ट होकर इनके द्वारा राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत कर दी गई और उन्होने पूरी सुनवाई करके डिक्री दिनांक 09.08.1988 एवं आरएए टोंक के

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.03.09 16:42:30 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय को निरस्त कर दिया। राजस्व मण्डल के निर्णय की रोशनी में उपखण्ड अधिकारी द्वारा नामातंरण संख्या 531 को निरस्त किया है। राजीनामा डिक्री को राजस्व मण्डल द्वारा निरस्त कर दिया गया था। अतः उक्त डिक्री के आधार पर खोला गया नामातंरण निरस्त योग्य ही था। राजस्व मण्डल द्वारा बाद निर्णय प्रकरण को तनकीवार निर्णय हेतु विचारण न्यायालय को रिमाण्ड किया था। अपीलांट विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर चाराजोई कर सकता है। अपीलांट द्वारा उठाये गये बिन्दु की सर्वप्रथम गंगाबिशन द्वारा वसीयत करना फिर निरस्त करना अपनी पुत्री को दानपत्र करना से संबंधित दस्तावेज इस समय पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलांट इन सभी बिन्दुओं के आधार पर विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर पैरवी कर सकता है। नामातंरण मात्र एक फिस्कल कार्यवाही है। इससे अधिकार सृजित नहीं होते है। दावें में उचित प्रोसिजर के माध्यम से जहां सभी बातों का खुलासा हो सकेगा। वह अनुतोष हेतु प्रयास करें। इस स्टेज पर न्यायालय प्रस्तुत अपील को सारहीन मानता है और खारिज योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अपील संख्या 15/2015 निर्णय दिनांक 28.06.2019 को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 25.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:42:30 IST
Reason: SelfAttested